

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(11)आरबी/2015/पार्ट/4935 दिनांक 19 जून, 2018

• - परिपत्र

राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 3734 दिनांक 09.06.2015, क्रमांक 4476 दिनांक 08.07.2015, क्रमांक 4782 दिनांक 17.07.2015, क्रमांक 7466 दिनांक 29.10.2015, क्रमांक 1871 दिनांक 09.03.2016, क्रमांक 6247 दिनांक 11.08.2017 व क्रमांक 7645 दिनांक 16.10.2017 द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के प्रस्ताव राजभवन को प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. दिनांक 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में प्रस्तावित दीक्षान्त समारोह में एक वर्ष पूर्व की उपाधियां सम्मिलित की जावें। उदाहरणार्थ यदि कोई दीक्षान्त समारोह 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त दीक्षान्त समारोह हेतु अकादमिक वर्ष 2016-17 तक की डिग्रियां व मेडल शामिल किये जावें।
2. दिनांक 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में प्रस्तावित दीक्षान्त समारोह में तत्कालीन गत वर्ष तक की उपाधियां सम्मिलित की जावें। उदाहरणार्थ यदि कोई दीक्षान्त समारोह 1 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2019 के मध्य प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त दीक्षान्त समारोह हेतु अकादमिक वर्ष 2017-18 तक की डिग्रियां व मेडल शामिल किये जावें।

: 2 :

3. प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक निश्चित दिनांक को दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जावे।
4. दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के प्रस्ताव से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि दीक्षान्त समारोह में शामिल किए जाने वाले वर्ष तक के समस्त विद्यार्थियों की डिग्रियां/उपाधियां तैयार कर ली गई हैं। इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कुलपति के हस्ताक्षर से राजभवन को प्रस्तुत किया जावे।
5. विश्वविद्यालय स्तर पर समारोह आयोजन के साथ-साथ उसी दिन संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा भी महाविद्यालय स्तर पर एक समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जावें।
6. दीक्षान्त समारोह में कुल वितरित की जाने वाली डिग्रियों की संख्या, मेडल्स की संख्या तथा कुलाधिपति स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों की सूची राजभवन को प्रेषित की जावे।
7. उपाधियों के वितरण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं का विद्यार्थियों की सूचना एवं सुविधा हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
8. उपाधियों संबंधी समस्त विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावे।
9. साथ ही सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय वितरित की गई डिग्रियों/उपाधियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository) पर भी अपलोड करावें।

४०/-

(देबाशीष पृष्ठी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान

184

क्रमांक: एफ.1(11)आरबी / 2015 / पार्ट | 4936

दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान
2. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।
3. रक्षित पत्रावली

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा